C/P.21
23/4/12

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. __________ of 2012.

Pradeep Kumar Arya. ..... Petitioner.

Vs.

The State of Bihar & others... Respondents.

S Y N O P S I S

Prayer:- That this is an application for issuance of an ~~application for~~ appropriate writ, order or directi setting aside the order dated 24.3.2012 passed by the District Teacher Employement Appellate Tribunal Madhepura in App-eal Case No.158/2011 where by the appointment of the petitioner to post of panchayat Teacher has been cancelled and the employment unit has been directed to re-employed Respondent No.11 and allowed him to Join in the School in question.

For any other relief(s) for which the petitioner is found entitled in the facts and circumst -nces of the case.

Facts with dates:-

4.9.2006:- Petitioner applied for appointment to the Post of Panchayat Teacher in B.C.Category in makdampur Panchayat.

26.2.2007 / 27.2.2007 :- petitioner appeared in counselling.

23.3.2007 :- Respondent No.11 having lesser marks was appointment.

3.4.2007 :- Petitioner made complaint.

17.4.2007:- B.D.O, Puraini directed all the panchayat appoint the candidated having higher mark who has been illegally debarred.

2.5.2007 :- Camp was organised to examine complaints ar petitioner was appointed.

24.3.2011 :- Respondents No.11 filed appeal before the Tribunal as per order of this Hon'ble Court vide appeal No.158/2011 which was allowed.

Hence this writ application has been filed.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. ________ of 2012.

Pradeep Kumar Arya .... Petitioner.

Vs.

The State of Bihar & others.... Respondents.

Sub:- Termination (School service)

I ND E X

1. Writ petition with Affidavit. ...... 1 to 15.

2. Annexure-1&-2/- A Photo copy of application dated 3.4.07 and letter dated 17.4.2007. .... 16 - 18

3. Annexure-3/- A Photo copy of letter dated 2.5.2007. 19

4. Annexure-4 & 5/- A Photo copy of show cause of petitioner and order dated 24.3.12. .... 20 - 26

5. Annexure-6/- A Photo copy of notice. ... 27

6. Annexure-7/- A Photo copy of the order dated 31.3.2010. 28

7. Vakalatnama.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. ________ of 2012.

In the matter of an application under ~~section~~ Article 226 of the constitution of India.

And

In the matter of :-

Pradeep Kumar Arya Son of Basudeo Prasad Das, resident of Village-Udakishunganj, P.S.-Udakishunganj, District-Madhepura.

..... Petitioner.

Versus.

1. The State of Bihar through the Principal Secretary Human Resources Development Department, Government of Bihar, Patna.

2. The Director, Primary Education, Government of Bihar, Patna.

3. The District Magistrate, Madhepura.

4. The District Education Officer, Madhepura.

5. The District Programme Officer (Establishment), Madhepura.

6. The Block Development Officer, Puraini, Madhepura.

7. The Block Education Extension Officer, Puraini, Madhepura.

8. The Member, District Teacher Employement App-ellate Tribunal, Madhepura.

9. The Mukhiya, Gram Panchayat Raj Makdampur, Madhepura.

10. The Panchayat Secretary, Gram Panchayat Raj Makdampu Madhepura.

11. Birendra Kumar Mandal Son of Rasbihari Mandal, resident of Village-Makdampur, P.S.-Puraini, Distric Madhepura.

.... Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion Justices of the sai Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the above named petitioner.

Most Respectfully Sheweth:-

1. That this is an application for issuance an appropriate writ order or direction, setting aside the order dated 24.3.2012 passed by the District Teacher Employment Employement Appellate Tribunal Madhepura in Appeal Case No. 158/2011 whereby the appointment of the petitioner to post of Panchayat Te Teacher has been cancelled and the employment unit has been directed to re-employed Respondent No. 11 and allowed him to Join in the school in question.

For any other relief(s) for which the pe petitioner is found entitled in the facts and circums -tances of the case.

2. That the following points of law arising out of this case for adjudication of this Hon'ble Court.

(i) Whether order of appellate authorit is bad and illegal in the eye of law as well a on facts.

(ii) Whether the approach of the Tribunal in dealing with the material availabl on record is erroneous and conclusions drawn a wholly unreasonable and perverse.

(iii) Whether the Tribunal was Justified in holding that cancellation of employment and employment of the petitioner was without Juris -iction although in the similar facts and circumstances the Tribunal held the appoint- -ment of another Teacher of same panchayat legal.

(iv) whether the petitioner is entitled to x be continued in service.

3. That the petitioner is the citizen of India residing within the territorial Jurisdiction of this Hon'ble Court.

4. That the short facts gx giving rise to x this writ application are that in Teacher employment 2006 the petitioner having 601 marks in Intermediate (Science) and the respondent No.11 having 558 marks in Intermediate, applied for appointment to the post of Panchyat Teacher in Makdampur Gram Panchayat ,appea -ed in counselling got their certificates verified and petitioner having higher marks than the responden No.11 was very much hopeful that he will be selected for employement under Extreme Backward Class but ignoring his claim respondent No.11 was employed vide letter dated 23.3.2007.

5. That Justi after having knowledge of employment of respondent No.11, the petitioner made

complaint before the competant authorities on 3.4.20

Mean while the B.D.O, Puraini issued order dated 17.4.2007 directing all the panchayat under his. Bloc that if the condidates having higher marks have been debarred from x Employement on the ground of non appearance in counselling they may rectify their mistake otherwise legal action will be taken as he h received several complaints in this regard but inspite of such direction regard but inspite of such directior petitioner was not appointed.

A Photo copy of the application dated 3.4.2007 and letter dated 17.4.2007 is annexed herewith and marked as Annexure-1 and 2 to this petition.

6. That it is important to mention here that the District Magistrate, Madhepura had also receive

several complaints regarding illegality/irregularity commited by the employement unit in appointment of Panchayat Teacher and accordingly on the direction of District Magistrate camp was organised to examine such complaints petitioner's complaint was found gen-n and vide letter dated 2.5.2007 employement of Priv-e respondent No.11 was cancelled and petitioner was appointed as panchayat Teacher, Persuant to which he Joined his duty in primary school, Kahar Toli under Makdampur Panchayat and started discharging his duty with full devotion and sincerity to the satisfaction all concern and there has been no complain against hi from any corner.

A Photo copy of letter dated 2.5.2007 is annexed herewith and marked as Annexure-3 to this petiti

7. That respondent No.11 challanged the ord dated 2.5.2007 in C.W.J.C. No.6699 of 2007 and this

Hon'ble Court vide order dated 12.7.2011 directed him to approach the Tribunal. Mxx This Hon'ble Court did n express any opinion on merit. Thereafter he approached the District Teacher Employement Appellate Tribunal, Madhepura vide Appeal case No.158/2011 in which panchayat Secretary and the petitioner appeared and filed their respective show cause, counselling Registe and proceeding Register were produced and Tribunal on the finding that petitioner did not appear in counsell -ng and his order of appointment dated 2.5.2007 was not in accordance with Rule and accordingly by his ord dated 24x8x 24.3.2012 allowed the appeal and cancelled his appointment and restore the appointment of respond -t No.11.

A Photo copy of show cause of petitioner order dated 24.3.2012 is annexed here with and marked as Annexure 4 and 5 to this petition.

8. That the approach of learned Tribunal in dealing with material available on record is erroneou and conewsious drawn are wholly unreasonable and perverse , which necessitated the petitioner to approach this Hon'ble Court.

9. That in this regard it is stated and submitted that the date of counselling was widely circulated by the D.S.E. Madhepura and the date counselling and verification of documents for post of Panchayat Teacher was scheduled on 26.2.2007 and 27.2.2007 and on both the date counselling and verifi -tion was done by the employement unit in question an the petitioner alongwith others was participated on 26.2.2007 but the record of said date was removed wi ulterior motive by the employement Unit in order to accomodate the favvourites but this fact was not examined by the Tribunal.

A Photo copy of the notic

daxa is annexed herewith
and marked as Annexure-6
this petition.

10. That in this xegad regard the learned Tribunal failed to consider the higher marks of the petitioner, his position in the merit list, his compla -t dated 3.4.2007 and letter dated 17.4.2007 and further failed to consider that the authorities had received several complaints of condidates having higher marks but were debarred from employement by adopting malpracties and considering such illegality/ irregularity the competent authority camp was examined to examine complaints and considering the evidence on record illegality/irregularity was rectifi at its unitial stoge by cancelling the p appointment o axxk condidates having lesser marks and making appointment of better appoint condidates, petitioner was one of them.

11. That in this regard the learned Tribunal

in ad order to avoid miscarriage of Justice, should have called for a report of the D.M. or D.D.C. or B.D or B.E.E.O. as to whether they had received complain on large scale in this matter and what was the basi of their findings but the tribunal has failed to apply his judicial mind and derived at a wrong finding.

12. That the tribunal was not Justified in holding that the order of appointment is without Juri -iction and against law in as much as it was done by the competent authority and action was taken in time following the Rules.

13. That the tribunal was further not Justified in holding that petitioner has failed to produce evidence regarding his appearance in counsel -ing as the petitioner produced sufficient material t proved his contention.

14. That the Tribunal erred in holding

that the case of Manju Sugam (Appeal No.82/09) is not similar. In this regard it is stated and submitte that one Manju Sugam, who had applied in Nardah Panchayat falls in puraini Block having higher marks was debarred from employement, he had also made compl-nt which was also examined in camp dated 2.5.2007 alongwith petitioner and other similar condidates and she was also appointed like petitioner and her appointment was challenged by Rina Kumari before the same Tribunal (82/09) but was dismissed by order dat 31.3.2010 considering the similar order dated 2.5.200' It is very surprising that the order of same author-y in similar circumstances was taken into considera--tion in two different ways, which is un-just and improper.

A photo copy or the order dated 31.3.2010 is annexe herewith and marked as Annexure-7 to this petiti

15. That in the background of the statements as xdx indicated above, the order impugned as containe in Annexure-3 to this application is wholly illegal, unjustified and not in accordance with law.

16. That in the facts and circumstances statec above, the petitioner has got no other alternative and equally effective and efficacious remedy than to move this Hon'ble Court in its writ jurisdiction.

17. That in the aforesaid back ground the order of learned Tribunal warrants interference of this Hon'ble Court to avoid miscarriage of justice.

18. That this petitioner has not come to this Hon'ble Court on any earlier occasion in the present matter as indicated in this writ petition.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased issue Rule NISI, calling upon the respondents to show cause as to why the reliefs sought for in paragraph-

of this writ petition may not be gra
-ed in favour of the petitioner and
return of the Rule,perusing the
causes shown if any and after hearir
the party, allow this writ applicati
and thereby quash the impugned order
as contained in Annexure-3 to this
application.

And/Or.

Pass such other order or orders as
Your Lordships may deem fit and
proper in the facts and circumstance
of the case.

And

During the pendency of the writ
application, the operation of the
order impugned as contained in
Annexure-3 may kindly be stayed.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Pradeep Kumar Arya, aged about 36 years, Son of ~~xasc~~ Basudeo Prasad Das, resident of Village-Udakishunganj, P.S.-Udakishunganj, District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstanc of the case.

2. That the contents of this petition and affidavit have been read over and explained to me in Hindi which I fully understood the same and the statem made in paragraph Nos. 8, 10 to 13 are true to my knowledge those made in paragraph Nos. 4, 5, 6, 7, 9, 14 are based on record which I believe to be true and those made in the rest are by way of submissions.

3. That the Annexures are true/Photo copies of their originals.

प्रदीप कुमार 'आर्य'

ANNEX-1

सेवा में, (16)

श्रीमान् प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
पुरैनी (मधेपुरा)

विषय :- शिक्षक नियोजन से वंचित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

एक प्रतिलिपि [illegible] B.R.P 3.4.07

सविनय निवेदन है कि मैं प्रदीप कुमार "आर्या", पिता- स्व० वासुदेव प्रसाद दास साकिन+थाना- उदाकिशुनगंज जिला- मधेपुरा का स्थायी निवासी हूँ। यह कि मैं अविव कोटि से अन्तरस्नातक विज्ञान से 66.77% अंक धारित करता हूँ। मैं शिक्षक नियोजन 2006 के तहत पुरैनी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत राज - मकदमपुर में आवेदन जमा किया था। जिसका प्राप्ति रसीद संख्या 390 है। यह कि मैं बिहार शिक्षा परियोजना मधेपुरा द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित आवश्यक सूचना के तहत दिनांक 26/02/2007 को उक्त पंचायत के पंचायत भवन परिसर में किये जा रहे कांउसलिंग में उपस्थित होकर अपने समस्त प्रमाणपत्रों को सत्यापित कराते हुए सभी प्रमाणपत्रों की छायाप्रति भी जमा कराया था। कांउसलिंग के पश्चात पंचायत सचिव एवं मुखिया जी से बारम्बार सम्पर्क करने पर वे हमेशा ही मेरा नियोजन करने का आश्वासन देते रहे। लेकिन इधर एक सप्ताह पूर्व पता करने पर जानकारी मिली की मुखि. पंचायत-

नियोजन इकाई द्वारा अवैध रूप से
काउंसिलिंग से अनुपस्थित दिखाते हुए
मुझसे कम अंक वाले मुखिया जी के
निकटतम स्वास अभ्यर्थी का उक्त कोटि
हेतु चयन कर लिया गया है। और मुझे
निजी स्वार्थ के तहत नियोजन से वंचित
कर दिया गया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है
कि उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान देते हुए
सरकारी निर्देशों का अक्षरशः पालन
करते हुए इस मामले में युक्ति संगत
कारवाई करने की कृपा की जाय। ताकि
शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में पारदर्शिता
बरकरार रह सके। इस कार्य हेतु श्री
मान का मैं सदैव आभारी रहूँगा।

पत्रलिपि अग्रसारित
(1) प्रखंड विकास पदाधिकारी - पुरैनी
(2) जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा
(3) जिला पदाधिकारी मधेपुरा

श्रीमान का विश्वासी
प्रदीप कुमार "आर्य"
पिता - स्व० वासुदेव प्र० दास
साकिन + थाना - उदा-किशुनगंज
जिला - मधेपुरा
दिनांक - 03/04/2007

(18)

कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौसा। कुरैनी

कार्यालय-आदेश

शिक्षक नियोजन के सम्बन्ध में ऐसी शिकायत मिली है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो उच्च प्राप्तांक धारित करते हैं, का नाम इस आधार पर नहीं लिया गया है कि वे निर्धारित समय पर काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए हैं। इस आधार पर इनसे कम प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, [illegible] द्वारा दिनांक 30.03.2007 की बैठक में यह निर्देश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में उच्च प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को इस बहाने नियोजन से वंचित नहीं किया जाय, यदि वे समय पर काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए।

अगर किसी पंचायत में ऐसी त्रुटि हो गई है तो नियोजन समिति अपनी बैठक में अपनी गलती सुधारने का प्रस्ताव पारित कर उच्च प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का नियोजन अविलम्ब पुनः निश्चित करें।

अगर किसी पंचायत में उच्च प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को समय पर काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने के आधार पर नियोजन से वंचित किया जाता है, तो इसे गंभीरता से लिया जायगा और [illegible] पर अनुशासनिक कार्रवाई की जायगी।

प्रखंड विकास पदाधिकारी
चौसा। कुरैनी

ज्ञापांक ________ / चौसा, दिनांक अप्रैल 2007

प्रतिलिपि: सभी पंचायत सचिव। सभी मुखिया, प्रखंड चौसा। कुरैनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रखंड विकास पदाधिकारी
चौसा। कुरैनी

ज्ञापांक 153 / चौसा, दिनांक 17 अप्रैल 2007

प्रतिलिपि, जिला शिक्षा अधीक्षक, [illegible] जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान [illegible] को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रखंड विकास पदाधिकारी
चौसा। कुरैनी

Annex- 3

पत्रांक कैम्प मधेपुरा   दिनांक - 02.05.07

आदेश

जिला पदा० मधेपुरा के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में शिक्षक नियोजन 2006 के लिये शिविर की जाँच मधेपुरा बी० एन० मंडल स्टेडियम कैम्प में किया गया। आपत्ति कर्ता श्री प्रदीप कु० आर्या पिता— श्री वकिल प्र० दास के ग्राम+पो०+थाना:— उदाकिशुनगंज, जिला:— मधेपुरा के आवेदन पत्र की जाँच की गई। उनके दावा को मेधा सूची से मिलान किया गया। श्री प्रदीप कु० आर्या का प्राप्तांक 601 है। जबकि उनके द्वारा समय पर नहीं आने के कारण कम अंक वाले श्री बीरेन्द्र कु० मंडल पिता— श्री रास बिहारी मंडल, ग्राम+पो०— मकदमपुर, थाना:— पुरैनी, जिला— मधेपुरा को नियोजित किया गया।

अतः कैम्प में दिये गये निर्देश के आलोक में श्री बीरेन्द्र कु० मंडल, पिता— श्री रास बिहारी मंडल, ग्रा० पो०— मकदमपुर को नियोजन कम प्राप्तांक के आधार पर रद्द करते हुए श्री प्रदीप कुमार आर्या, पिता— श्री वकिल प्र० दास को प्रा० वि० कहरटोली में नियोजन समिति के बैठक की प्रत्याशा में नियोजित किया जाता है। नियोजन समिति के बैठक में नियोजन को अनुमोदित कर दिया जायेगा।

प्रतिहस्ताक्षरित

(ह०)

प्र० शि० प्र० पदा०

पुरैनी

(ह०) 8/5/07

पंचायत सचिव सह सदस्य सचिव शिक्षा समिति ग्राम पं०— मकदमपुर

ज्ञापांक कैम्प मधेपुरा दिनांक - 02.05.07

प्रतिलिपि:— श्री प्रदीप कु० आर्या / श्री बीरेन्द्र कु० मंडल / प्र० अ० संबंधित विद्यालय / श्री मुखी सदस्य एवं अध्यक्ष शिक्षा समिति / प्र० शि० प्र० पदा० / जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा / जिला पदा० मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) 8/5/07

पं० सचिव सह सदस्य सचिव, शिक्षा समिति ग्रा० पं०— मकदमपुर

Ann - 4

(20)

सेवा में,

अध्यक्ष
जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय
प्राधिकार, मधेपुरा

विषय :- अपील संख्या 158/2011 में अद्यतन प्रतिवेदन का समर्पण।

प्रसंग :- आपके पत्रांक 426 दिनांक-17/09/11 के सम्बन्ध में।

ह॰ 4-11-11

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में सादर अंकित करना है कि वर्ष 2006 के शिक्षक नियोजन में उच्च प्राथमिकता में रहने के बावजूद नियोजन समिति द्वारा मेरा नियोजन विभागीय निदेशानुसार नहीं किये जाने के फलस्वरूप मेरे द्वारा ग्राम पंचायत राज मकदमपुर, प्रखंड पुरैनी, जिला मधेपुरा के नियोजन समिति के विरुद्ध प्रखंड शिक्षा पदा. पुरैनी को आपत्ति दिये जाने के उपरांत विभागीय निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा पहले अनुमंडल स्तरीय फिर बाद में जिला स्तरीय शिक्षक नियोजन से संबंधित शिकायतों के निष्पादन के क्रम में जिला मुख्यालय स्थित बी.एन. मंडल स्टेडियम में लगाये गये कैम्प में मेरे द्वारा दिये आपत्ति के जाँचोपरांत मेरे सही माने हुए उच्च प्राप्तांक के आधार पर पत्रांक कैम्प मधेपुरा दिनांक 02/05/07 के द्वारा मुझसे कम प्राप्तांक वाले श्री विरेन्द्र कुमार मंडल, पिता- श्री

क्र.पृ.उ.

रासबिहारी मंडल, ग्राम+पो0- मकदमपुर अंचल- पुरैनी, जिला- मधेपुरा का नियोजन रद्द करते हुए नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मेरा नियोजन प्राथमिक विद्यालय कहरटोली अंचल- पुरैनी, जिला- मधेपुरा में किया गया। यह कि मैं उक्त निर्देश के आलोक में दिनांक 05/05/2007 को उक्त विद्यालय में योगदान देकर आज तक कार्यरत हूँ। इसके अलावे ग्राम पंचायत मकदमपुर के शिक्षक नियोजन समिति द्वारा मेरे नियोजन का अनुमोदन भी सर्वसम्मति से कर दी गयी है।

अतः मैं उपरोक्त आशय की सूचना सादर सेवा में अव-लोकनार्थ समर्पित कर रहा हूँ।

अनुलग्नक

(1) नियोजन पत्र की छाया प्रति।
(2) मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
(3) इन्टर का अंक, मूल एवं प्रवेश पत्र की छाया प्रति।
(4) महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
(5) योगदान पत्र की छाया प्रति।
(6) प्रखंड विकास पदाधिकारी पुरैनी के कार्यालय आदेश की छाया प्रति।

श्री मान का विश्वास-भाजन
प्रदीप कुमार 'आर्य'
पिता- श्री वासुदेव प्र0 दास
ग्राम+पो0 - उदाकिशुनगंज
जिला - मधेपुरा
वर्तमान पता - पंचायत शिक्षक
प्रा0 वि0 कहरटोली
अंचल - पुरैनी (मधेपुरा)

ANNX - 45

(21)

न्यायालय

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा

अपील वाद संख्या :- 158/2011

विरेन्द्र कुमार मंडल ------------वादी

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य ----------प्रतिवादी

आदेश

24.03.12

1\. यह अपील वादी वीरेन्द्र कुमार मंडल ने पंचायत सचिव ग्राम पंचायत मकदमपुर एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, पुरैनी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आदेश दिनांक 02.05.2007 को निरस्त करने के लिए दायर किया है। जिस आदेश के द्वारा वादी का पंचायत शिक्षक के नियोजन को रद्द करते हुए प्रतिवादी प्रदीप कुमार आर्य का नियोजन उनके पद पर किया गया है। वादी का आरोप है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा के ज्ञापांक 139 दिनांक 23.02.2007 के द्वारा नियोजन समिति को आदेश दिया गया था कि ग्राम पंचायत में प्रथम शिक्षक नियोजन वर्ष 2006 के लिए कौनसिलिंग 26.02.2007 एवं 27.02.2007 निर्धारित किया गया है एवं नियोजन इकाई कौनसिलिंग कर प्रमाण पत्र का जाँच कर नियोजन की कारवाई करें एवं जो अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते हैं उनका नियोजन का दावा समाप्त माना जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा के उक्त आदेश के आलोक में पंचायत नियोजन इकाई ने कौनसिलिंग किया और उपस्थित अभ्यर्थीयों का प्रमाण-पत्र जाँच कर कोटा के अनुसार नियोजन किया। वादी का नियोजन दिनांक 23.03.07 को प्राथमिक विद्यालय कन्टोली में किया गया और वादी ने दिनांक 26.03.07 को उक्त विद्यालय में योगदान किया। जब वे उक्त विद्यालय में कार्यरत थे तो पंचायत सचिव एवं प्र0 शि0 पदा0 ने दिनांक 02.05.2007 को वादी का नियोजन जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के मौखिक आदेश पर रद्द कर दिया और प्रतिवादी प्रदीप कुमार आर्य का नियोजन उनके स्थान पर नियोजन समिति के अनुमोदन के प्रत्याशा में कर दिया। जिस आदेश के खिलाफ वादी ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में रिट याचिका नम्बर 6699/2007 दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने उक्त रिट में दिनांक 12.07.1[illegible] को इस आशय का आदेश पारित किए कि वादी शिक्षक

नियोजन अपीलीय प्राधिकार में अपील दायर करें और प्राधिकार अपील में कालबाधिता को नहीं देखते हुए अपील का निष्पादन गुणागुन के आधार पर करें। वादी ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश के आलोक में यह अपील दायर किया है।

2. प्रतिवादी संख्या 02 पंचायत सचिव एवं प्रतिवादी संख्या 04 प्रदीप कुमार आर्य उपस्थित होकर अपना--अपना प्रति उत्तर दाखिल किए हैं।

3. पंचायत सचिव ग्राम पंचायत मकदुमपुर ने अपना लिखित जबाब दिनांक 10.11.11 दाखिल किया है। इनका जबाब यह है कि मकदुमपुर पंचायत में उपस्थित अभ्यर्थीयों का कौनसिलिंग किया गया और कौनसिलिंग के आधार पर मेघा सूची एवं कोटा के आधार पर अभ्यर्थीयों का नियोजन किया गया था। वादी का नियोजन अति पिछड़े वर्ग कोटि मे पंचायत शिक्षक में किया गया था। लेकिन कौनसिलिंग के आधार पर पूर्व नियोजित वीरेन्द्र कुमार मंडल के खिलाफ दिनांक 02.05.07 को जिला स्तरीय कार्यशाला मधेपुरा में जिला पदाधिकारी के मौखिक आदेश पर वीरेन्द्र कुमार मंडल का नियोजन रद्द कर प्रदीप कुमार आर्य का नियोजन किया गया।

4. प्रतिवादी संख्या 04 प्रदीप कुमार आर्य का जबाब है कि ये मकदुमपुर पंचायत में वर्ष 2006 में शिक्षक में नियोजन हेतु आवेदन दिया था। ये दिनांक 26.02.2007 को कौनसिलिंग में भाग लिया और अपना प्रमाण--पत्र जाँच हेतु दिया। लेकिन इनके कम मेघा अंक अभ्यर्थी का नियोजन किया गया। जिसके खिलाफ ये प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, पुरैनी को दिनांक 03.04.2007 को आवेदन दिया। इनका यह भी कथन है कि जिला पदाधिकारी, मधेपुरा ने नियोजन संबंधी कैम्प में इनके आपति के आधार पर इनसे कम मेघा अंक प्राप्त अभ्यर्थी वीरेन्द्र कुमार का नियोजन रद्द कर इनका नियोजन 02.05.07 को नियोजन समिति के अनुमोदन के प्रत्याशा में किया गया है।

5 इस अपील के निर्णय हेतु निम्नांकित न्याय बिन्दु गठित किया जाता है।

(i) क्या प्रतिवादी प्रदीप कुमार आर्य ग्राम पंचायत मकदुमपुर में कौनसिलिंग में उपस्थित होकर अपना सहमति दिया था ?

(ii) क्या जिला पदाधिकारी के मौखिक आदेश पर पंचायत सचिव

एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी पूर्व मे नियोजन समिति द्वारा कौनसिलिंग के आधार पर नियोजित शिक्षक का नियोजन रद्द कर सकता है एवं अधिक मेघा अंक प्राप्त अभ्यर्थी का नियोजन का आदेश दे सकता है।

(iii) क्या वादी का अपील मंजूर किया जा सकता है ?

6. सबसे पहले मैं न्याय बिन्दु नम्बर एक पर विवेचना करना आवश्यक समझता हूँ। इस सम्बन्ध में वादी का कथन है कि वे कौनसिलिंग में भाग लिया था। प्रतिवादी प्रदीप कुमार आर्य का कथन है कि वे दिनांक 26.02.07 को कौनसिलिंग में भाग लिया था। कौनसिलिंग दिनांक 27.02.07 को लिया गया है। जिसमें 93 अभ्यर्थीयों ने भाग लिया था। कौनसिलिंग रजिस्टर का छायाप्रति पंचायत सचिव द्वारा अभिप्रमाणित प्रति दाखिल किया गया है। जिसके अवलोकन से पता चलता है कि इस पर उपस्थित सभी अभ्यर्थीयों का हस्ताक्षर लिया गया है। कौनसिलिंग रजिस्टर के पेज 8 पर नियोजन समिति के पाँचों सदस्यों का हस्ताक्षर है। इसमें प्रतिवादी प्रदीप कुमार आर्य उपस्थित नहीं है। कार्यवाही पुस्तिका की बैठक संख्या 06 दिनांक 23.02.07 के प्रस्ताव संख्या 03 में यह स्पष्ट किया गया है कि कौनसिलिंग में कुल 93 अभ्यर्थी उपस्थित हुए और उनका मेघा सूची तैयार किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि जो अभ्यर्थी कौनसिलिंग में उपस्थित हुए उनका ही चयन तथा प्रतीक्षा सूची तैयार की जाय। इस बैठक में सभी पाँच नियोजन समिति के सदस्यों का हस्ताक्षर है। इसलिए यह विश्वास करने योग्य अभिलेख है कि कौनसिलिंग दिनांक 27.02.2007 को सभी सदस्यों के सामने लिया गया और जिस पर सभी 93 अभ्यर्थीयों का हस्ताक्षर है। अतः प्रतिवादी का यह कथन कि वे दिनांक 26.02.2007 को कौनसिलिंग में भाग लिया तथ्यहीन एवं गलत कथन है। प्रतिवादी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए कि वे कौनसिलिंग में भाग लिए थे। इनके कथन के खिलाफ लेख्या प्रमाणी साक्ष्य है कि ये कौनसिलिंग में भाग नहीं लिए थे। इनके खिलाफ पाँच लोगों का हस्ताक्षर युक्त लेख्य प्रमाण है। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रतिवादी ने कौनसिलिंग में भाग नहीं लिए था।

7. अब न्याय बिन्दु नम्बर दो पर अपना विवेचना करना चाहता हूँ कि जैसा की स्वीकारात्मक साक्ष्य है कि प्रतिवादी प्रदीप कुमार आर्य

का नियोजन एवं वादी के नियोजन रद्द करने का आदेश जिला पदाधिकारी के मौखिक आदेश पर किया गया था। उक्त विवादित आदेश पर सिर्फ पंचायत सचिव का दस्तखत है जो प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है। जिला पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का किसी तरह का लिखित आदेश नहीं दिखलाया गया है। सबसे पहले मैं पक्षकारों द्वारा दाखिल किए गए माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्यायादेश का जिक्र करना आवश्यक समझता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने रिट याचिका नं0 8064/2007 में यह न्यायादेश दिए हैं कि कौनसिलिंग के आधार पर नियोजित शिक्षक के नियोजन इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि दूसरे अभ्यर्थी को ज्यादा मेघा अंक था। माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर 4371/2007 एवं अन्य इसी तरह के मामले में यह न्यायादेश दिए हैं कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 के अनुसार स्थानीय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को यह अधिकार था कि किसी के नियोजन को आपत्ति के आधार पर नियोजन रद्द करके दूसरे का नियोजन का आदेश दे सकता था। लेकिन जिला पदाधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक या अन्य को यह अधिकार नहीं था कि इस तरह का आदेश पारित करें। इस अपील में या तो जिला पदाधिकारी का कोई लिखित आदेश नहीं है। मौखिक आदेश कह देने से आदेश नहीं कहा जा सकता है। वैसे भी पंचायत सचिव के विवादित आदेश दिनांक 02.05.2007 को नियोजन समिति का अनुमोदन नहीं किया है जैसा कि कार्यवाही पुस्तिका बैठक दिनांक 08.06.07 के प्रस्ताव संख्या 02 के अवलोकन से पता चलता है। उपरोक्त वर्णित न्यायादेश के जवाब में प्रतिवादी प्रदीप कुमार आर्य की ओर से प्राधिकार द्वारा अपील नम्बर 82/2009 की कापी दाखिल किया है। अपील 82/2009 में आवेदिका रीना कुमारी का नियोजन गलती से पिछड़ा वर्ग कोटि में किया गया था जो रोस्टर के अनुसार गलत था। अतः रीना कुमारी का केश की तुलनात्मक दृष्टि से इस अपील के साथ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि तथ्य में विभिन्नता है। वैसे भी जहाँ माननीय उच्च न्यायालय का न्यायादेश हो तो उसीको मानना न्यायहित कहलाता है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर तथा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार

16.04.12

(16)

के आलोक में मैं पाता हूँ कि विवादित आदेश दिनांक 21.05.2007 को नियम के विरूद्ध करार दिया जाता है। अतः पंचायत सचिव का उक्त आदेश जिसके आधार पर वादी का नियोजन रद्द करके प्रदीप कुमार का नियोजन किया गया है को निरस्त किया जाता है।

8. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर वादी वीरेन्द्र कुमार मंडल का अपील मंजूर किया जाता है।

9. नियोजन समिति ग्राम पंचायत मकदुमपुर वादी वीरेन्द्र कुमार मंडल का पुनः नियोजन कर उक्त विद्यालय में योगदान करावें। आदेश की प्रति पंचायत सचिव ग्राम पंचायत मकदुमपुर (प्रखण्ड पुरैनी) को आदेश के अनुपालनार्थ हेतु भेंजे।

प्रमाणिकरण शुल्क
15
तुलन लिपिक
16.04.12

COMPARED BY
Comparing Clerk
16.04.12

24/3/12
सदस्य
जिला शिक्षक नियोजन
अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा।

Cerrified to be a true
16.4.12
Head Clerk
U/S 76 Act, 1of 1872

ANNX – 6

बिहार शिक्षा परियोजना मधेपुरा

प्रारंभिक शिक्षक नियोजन संबंधी आवश्यक सूचना

सभी नियोजन ईकाईयों को सूचित किया जाता है कि शिक्षक नियोजन का कार्य विभागीय निर्देशानुसार दिनांक-28.02.07 तक संपन्न कर लेना है। सभी नियोजन ईकाईयाँ उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध चार/पाँच गुना अभ्यर्थियों की सूची आरक्षण रोस्टर एवं मेधा सूची के आलोक में अपने सूचना पट्ट पर अविलंब प्रकाशित करेगी। जिस कोटि में प्रशिक्षित अभ्यर्थी नहीं हो उस कोटि में अप्रशिक्षित कोटि से सूची प्रकाशित की जायेगी।

इस सूचना के माध्यम से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नीचे अंकित तिथियों में संबंधित नियोजन ईकाई के समक्ष अपने मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होकर प्रमाण पत्र की जांच एवं काउंसिलिंग में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। जो उपस्थित नहीं होंगे उनका दावा समाप्त माना जायेगा। नियोजन ईकाईयाँ उपस्थित अभ्यर्थियों में से आरक्षण रोस्टर एवं मेधा सूची को ध्यान में रखते हुए रिक्तयों के विरुद्ध नियोजन का कार्य निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित करेंगी एवं 01.03.07 को नियोजन संबंधी प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में जिला कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगी।

कार्यक्रम

क्र.	नियोजन ईकाई का नाम	निर्धारित तिथि	स्थल	समय
01.	सभी ग्राम पंचायत	26.02.07	ग्राम पंचायत भवन	10.00 बजे 5.00 बजे दिन
	एवं	27.02.07	ग्राम पंचायत भवन	10.00 बजे 5.00 बजे दिन
02.	नगर पंचायत मधेपुरा	27.02.07	नगर पंचायत भवन	10.00 बजे 5.00 बजे दिन
03.	नगर पंचायत मुरलीगंज	28.02.07	नगर पंचायत भवन	10.00 बजे 5.00 बजे दिन
04.	सभी प्रखंड (प्रशिक्षित हेतु)	28.02.07	प्रखंड कार्यालय सभा कक्ष	उपरोक्त
	(अप्रशिक्षित हेतु)	1.03.07	प्रखंड कार्यालय सभा कक्ष	उपरोक्त

ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित तिथियों को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अनुश्रवण हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

पंचायत/प्रखंड एवं नगर पंचायत के लिए निर्धारित तिथियों को जिला स्तर से अलग से अनुश्रवण का कार्य किया जायेगा एवं लापरवाही बरतने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

जिला शिक्षा अधीक्षक -सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान, मधेपुरा

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा।

(2)

1Mn.7

(28)

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा

अपील नम्बर 82/09 (रीना कुमारी बनाम कुमारी मंजू सुगम)

31.03.2010

यह अपील आवेदिका रीना कुमारी, पिता शिवशंकर सिंह, ग्राम मुरलीचंदवा, पो०–मुरलीचंदवा, अंचल–उदाकिशुनगंज, जिला–मधेपुरा ने शिक्षक नियोजन वर्ष 2006 के अन्तर्गत नरदह पंचायत में किए गए नियोजन के खिलाफ दायर की है। आवेदिका रीना कुमारी का आरोप है कि उनकी नियोजन दिनांक 1.03.2007 को प्रखंड पुरैनी ग्राम पंचायत नरदह के प्राथमिक विद्यालय श्रीपुर टोला में अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुआ था और वे वहाँ योगदान कर कार्य कर रही थी । दिनांक 7.05.2007 को आवेदिका को एक पत्र–प्राप्त हुआ जिसका पत्रांक कैम्प मधेपुरा दिनांक 2.05.2007 पंचायत सचिव सह सदस्य सचिव समिति ग्राम पंचायत नरदह के यहाँ से प्राप्त हुआ । जिसके अनुसार कुमारी मंजू सुगम ग्राम नरदह पो० नया टोला का नियोजन आवेदिका के जगह पर जिला पदाधिकारी के आदेश पर किया गया और आवेदिका का नियोजन रद्द किया गया । यह आदेश दिनांक 2.05.07 के खिलाफ आवेदिका ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका नम्बर 6820/2007 दायर किया । जिसका आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने दिनांक 19.08.2009 को दिया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना ने इस आशय का आदेश पारित किए कि आवेदिका प्राधिकार के न्यायालय में आवेदन दें और प्राधिकार आवेदिका के आवेदन की सुनवाई कर गुणागुन के आलोक में अपना आदेश पारित करें। उक्त आदेश के आलोक में यह अपील आवेदिका ने दायर की है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आवेदिका का नियोजन उचित था और उनके स्थान पर उनकी नियोजन रद्द कर कुमारी मंजू सुगम का नियोजन करना न्यायोचित था या नहीं ? सबसे पहले पंचायत शिक्षक के नियोजन में रोस्टर का पालन करना आवश्यक होता है। ग्राम पंचायत नरदह में पंचायत शिक्षक का कुल पद सात रिक्त था । रोस्टर के अनुसार अनारक्षित महिला का 2 पद, पिछड़ा वर्ग महिला का एक पद, अनारक्षित 2 पद, अ० पिछड़ा वर्ग–1 पद, एवं अनुसूचित जाति का एक पद रिक्त था । पंचायत सचिव के प्रतिवेदन के अनुसार विभा मेहता एवं रूपा रानी दोनों अनारक्षित महिला पद पर नियोजन किया गया था । विभा मेहता को मेधा अंक 75 है और रूपा रानी का मेधा अंक 73.77 है। जबकि आवेदिका का मेधा अंक 66 है और वे अनारक्षित कोटि के प्रत्याशी हैं।

अतः उपरोक्त दोनों नियोजित शिक्षिका का नियोजन मेधा अंक के आधार पर सही है। पंचायत सचिव ने यह स्पष्ट प्रतिवेदन दिया है कि आवेदिका की नियोजन पिछड़ा वर्ग कोटि में कर दिया गया था जो रोस्टर के अनुसार गलत है। अब यह विचारणीय प्रश्न है कि जिला पदाधिकारी के आदेश पर आवेदिका का नियोजन रद्द करना न्यायोचित है या नहीं । वर्ष 2006 के शिक्षक नियोजन में जिला पदाधिकारी को शिकायत प्राधिकार का क्षेत्राधिकार था उक्त क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वे शिक्षक नियोजन के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जाँच हेतु दिनांक 2.05.07 को बी.एन. मंडल स्टेडियम में बैठक बुलाई और कुमारी मंजू सुगम की शिकायत पर जाँच किया और मंजू सुगम को ज्यादा मेधा अंक रहने के कारण रीना कुमारी का नियोजन रद्द करते हुए मंजू सुगम के नियोजन का आदेश दिया ।

आवेदिका अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी हैं और इनकी नियुक्ति पिछड़े वर्ग कोटी के पद पर नहीं किया जा सकता है। इसलिए आवेदिका का नियोजन रद्द करने के लिए नियोजन समिति के पास दो मूल कारण उपलब्ध था । पहला कि उनकी नियुक्ति पिछड़े वर्ग कोटी में किया गया था जो नियमानुकुल नहीं है दूसरा कि इनको मेधा अंक 66 प्रतिशत था और विपक्षी को मेधा अंक ज्यादा है जिसकी सम्पुष्टि पंचायत सचिव ने अपने पत्रांक शून्य दिनांक 16.11.09 के प्रतिवेदन में अंकित किया है। जिला पदाधिकारी ने दिनांक 30.03.2007 को नियोजन संबंधी बैठक में यह निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में अधिक मेधा अंक वाले अभ्यर्थी को नियोजन से वंचित इस आधार पर नहीं करें कि वे कॉन्सिलिंग में भाग नहीं लिया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी का आदेश ज्ञापांक 153 दिनांक 17.04.2007 दाखिल किया गया । उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मैं पाता हुँ कि आवेदिका का आवेदन चलने योग्य नहीं है।

अतः खारीज किया जाता है।

सदस्य 31/3/2010

जिला शिक्षक नियोजन
अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा

Certified to be a true
Head Clerk
U/S 76 Act, 1 of 1872

10/ प्रमाणिकरण शुल्क
11=0
तुलन लिपिक
04.02.12

COMPARED BY
Comparing Clerk
04.02.12